

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/146377/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/31064/JD

दिनांक: 15-02-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AR LANDCRAFT LANDCRAFT LLP** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO REP-1, SECTOR-27, GREATER NOIDA** तहसील - **DAERO** प्लॉट एरिया **403575 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया - (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **3** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A1	26	2	86.50 mt.
TOWER A2	26	2	86.50 mt.
TOWER B1	26	2	86.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AR LANDCRAFT LANDCRAFT LLP** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AR LANDCRAFT LANDCRAFT LLP** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वर्धन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-02-2025
स्थान : LUCKNOW

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

25-02-2025

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर

परिक्षेत्र ।

पत्रांक:2025/146377/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/31064/जे0डी0

दिनांक: मार्च 05, 2025

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S-AR LANDCRAFT LLP.

PLOT NO-REP-1, SECTOR-27, GREATER NOIDA,
DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR,

विषय:-

M/S-AR LANDCRAFT LLP. PLOT NO-REP-1, SECTOR-27, GREATER NOIDA, DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR, उ0प्र0 में प्रस्तावित आवासीय भवन के (टावर-ए1, टावर-ए2 व टावर-बी1) को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में भवन की ऊँचाई सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2025/146377/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/31064/जे0डी0 दिनांक: 15-02-2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि यूआईडी:2025/146377/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/31064/जे0डी0 दिनांक: 25-02-2025 के माध्यम से ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में ब्लॉक/टावरों की ऊँचाई त्रुटिवश गलत अंकित हो जाने के कारण संशोधित पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त ऑनलाईन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों के अनुसार संशोधित विवरण निम्नवत है:-

क्र0	ब्लॉक/टावर का विवरण			
स0	ऑन लाइन निर्गत एन0ओ0सी0 के अनुसार		संशोधन के उपरान्त	
01	टावर-ए01	ऊँचाई-86.50 मीटर	टावर-ए01	ऊँचाई-86.70 मीटर
02	टावर-ए02	ऊँचाई-86.50 मीटर	टावर-ए02	ऊँचाई-86.70 मीटर
03	टावर-बी01	ऊँचाई-86.50 मीटर	टावर-बी01	ऊँचाई-86.70 मीटर

अतः उपरोक्त भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन समझा जाये, तथा शेष शर्तें दिनांक: 25-02-2025 को ऑनलाईन निर्गत (प्रोवीजनल) एन0ओ0सी0 के अनुसार ही अनुमन्य होगी।


(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

दिनांक: 21/01/2026

सेवा में,
आदेशमन अधिकारी
आदेशमन विभाग
गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

विषय: प्रावधिक अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (यू. आई. डी.: 2025/146377/जीबीएन./गौतम बुद्ध नगर/31064/जे0 डी0., दिनांक 15-02-2025) में टावर नाम संशोधन हेतु आवेदन

महोदय,

सपिनय निवेदन है कि हमारे प्रोजेक्ट M/S AR LANDCRAFT LLP, प्लॉट संख्या REP-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नोएडा, जनपद—गौतम बुद्ध नगर के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी प्रावधिक अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (यू. आई. डी.: 2025/146377/जीबीएन./गौतम बुद्ध नगर/31064/जे0 डी0., दिनांक 15-02-2025) में टावर नाम त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है।

प्रमाण पत्र में टावर का नाम 'बी0-1' दर्ज है, जबकि स्वीकृत एवं वास्तविक नाम 'ए0-3' होना चाहिए।

दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करने तथा विभागीय कार्यवाहियों के सुचारू संचालन हेतु यह संशोधन आवश्यक है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया प्रावधिक अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र में टावर नाम 'ए0-3' संशोधित करके नया संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

CFO

Sir,

सलग्रक:

प्रावधिक अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (यू. आई. डी.: 2025/146377/जी. बी. एन./गौतम बुद्ध नगर/31064/जे. डी.) की प्रति स्वीकृत ड्राइंग/लेआउट, जिसमें टावर नाम 'ए0-3' दर्शित है

भवदीय,

(M/S AR LANDCRAFT LLP)

FSO
31/2/26

FSO Saraj Kumar

cut up 21/01/26
23-1-26
08

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर

पत्र संख्या:31064 / सीएफओ / जीबीएन-26

दिनांक:फरवरी, 26 2026

स्वामी / प्रबन्धक

मैसर्स AR LANDCRAFT LLP
PLOT NO REP-1, SECTOR 27
GREATER NOIDA

कृपया अपने पत्र दिनांक:शून्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ऑनलाईन निर्गत फायर एनओसी में ब्लॉक-3 का नाम परिवर्तन करते हुए संशोधित पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन निर्गत एनओसी में सुधार हेतु कोई विकल्प नहीं हैं, उक्त प्रार्थना पत्र के कम में यूआईडी संख्या- UPFS/2025/146377/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/31064/JD द्वारा निर्गत एनओसी में ब्लॉक-बी-1 की जगह ब्लॉक का नाम ए-3 पढा जाय। शेष विवरण ऑनलाईन निर्गत एनओसी के अनुरूप रहेगा।

(प्रदीप कुमार)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।